

न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनू

पीठासीन अधिकारी :- डॉ. अरुण गर्ग
आई.ए.एस.

प्रथम अपील संख्या 78/2026

विक्रम सिंह पता गोदारों का बास, भौड़की, तहसील गुढागौड़जी जिला झुंझुनू पिनकोड 333032 मो.न. 9784500632
बनाम

लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) झुंझुनू

सूचना का अधिकार अधिनियम
के तहत प्रस्तुत प्रथम अपील.

आदेश

दिनांक 19.03.2026

1. पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी (अपीलार्थी) द्वारा यह प्रथम अपील प्रार्थना पत्र सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत दिनांक 26.02.2026 को इस न्यायालय में प्राप्त होने पर प्रथम अपील मिसल नम्बर 78/2026 पर दिनांक 26.02.2026 को दर्ज की गई। अपीलार्थी द्वारा उक्त अपील लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) झुंझुनू के विरुद्ध पेश की गई है।
2. अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) झुंझुनू को प्रस्तुत कर आवेदन पत्र में वर्णित सूचना चाही गई।
3. लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) झुंझुनू से इस कार्यालय के पत्रांक पाठक/2026/605-06 दिनांक 05.03.2026 द्वारा तथ्यात्मक टिप्पणी चाही गयी थी।
4. लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) झुंझुनू ने पत्रांक आरटीआई/2023/32 दिनांक 19.03.2026 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना इस कार्यालय के पत्रांक आर.टी.आई./2026/25 दिनांक 25.02.2026 द्वारा जरिये रजिस्टर्ड डाक अपीलार्थी को उपलब्ध करवाई जा चुकी है। अतः अपीलार्थी की अपील खारिज फरमायी जावे।
5. अपीलार्थी सुनवाई हेतु उपस्थित। अपीलार्थी ने आदिनांक तक सूचना/पत्र प्राप्त नहीं होना जाहिर किया तथा सूचना दिलवाई जाने का निवेदन किया।
6. लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) झुंझुनू द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना उनके कार्यालय के पत्रांक आर.टी.आई./2026/25 दिनांक 25.02.2026 द्वारा जरिये रजिस्टर्ड डाक अपीलार्थी को उपलब्ध करवाई जा चुकी है। परन्तु अपीलार्थी ने हाजिर होकर कोई सूचना नहीं मिलना जाहीर किया है। अतः अपीलार्थी का सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रथम अपील का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) झुंझुनू को निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी द्वारा वांछित सूचना 15 दिवस के अन्दर जरिये रजिस्टर्ड डाक से निःशुल्क उपलब्ध करवाई जावे।
7. अपीलार्थी को यह भी सूचित किया जाता है कि आप इसकी द्वितीय अपील माननीय राज्य सूचना आयोग जयपुर के यहां निर्धारित समयावधि में कर सकते है।

आदेश आज दिनांक 19.03.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(डॉ. अरुण गर्ग)

जिला कलक्टर, झुंझुनू
जिला कलक्टर झुंझुनू